पत्रांक–भवन / IT Cell–01 / 2026......918 (अनु)......./

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अवधेश नन्दन सिन्हा,
संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (HRMS),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अभियंता प्रमुख (विद्युत सहित)/
सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)/
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/
अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03 एवं 04
आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक– 28/1/26

विषय :– **भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के अन्तर्गत लागू Leave Module को राज्य के सभी कर्मियों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–मिशन निदेशक, पटना का पत्रांक–1624, दिनांक–25.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ करे। विदित हो कि मिशन सासाइटी के पत्रांक–3928 दि0–05.10.2023 के द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली परियोजना के द्वितीय चरण में पाँच Modules को Portal पर राज्य कर्मियों एवं कार्यालयों के उपयोग के लिये लागू किया जा चुका है, जिसे शत्–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव के द्वारा भी निदेश दिया जा चुका है। इन पाँच Modules में Leave Management Modules अति–महत्त्वपूर्ण है। परन्तु इसका उपयोग बहुत कम कार्यालयों/राज्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसका उपयोग दृढ़ता से किया जाना है।

अतः निदेशानुसार भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के अन्तर्गत लागू Leave Module को राज्य के सभी कर्मियों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

27-01-26

(अवधेश नन्दन सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (HRMS),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D/MADHUMITA.RAJ.STHAPANA/Prabhu SIR/Letters/p.draft

(10) (02)

28 JUL 2025

पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0 / HRMS-03/2022, सो0–...1624

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ0 बी. राजेन्दर,
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–
मिशन निदेशक।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग।
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।

पटना, दिनांक– 25/07/2025

विषयः– मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत लागू Leave Module को राज्य के सभी कर्मियों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः– मिशन सोसाइटी का पत्रांक–3928, दिनांक–05.10.2023 एवं मुख्य सचिव बिहार का पत्रांक–1702 दिनांक–25.09.2024 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मिशन सोसाइटी के पत्रांक–3928 दिनांक–05.10.2023 के द्वारा HRMS परियोजना के द्वितीय चरन मे पाँच मोड्यूल्स को पोर्टल पर राज्य कर्मियों एवं कार्यालयों के उपयोग के लिए लागू किया गया था, जिसे शत–प्रतिशत उपयोग हेतु मुख्य सचिव के प्रासंगिक पत्र से आच्छादित करने का निदेश दिया गया था। इन पाँच मोड्यूल्स में Leave Management Module अति महत्वपूर्ण है। किन्तु इसका उपयोग बहुत कम कार्यालयों/राज्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। उपयोग नहीं होने का मुख्य कारण कार्यालयों द्वारा राज्य कर्मियों का सभी प्रकार के अवकाश अवशेष को अद्यतन नहीं किया जाना है। इस समस्या से निजात के लिए पोर्टल पर निम्न प्रावधान किया गया है:–

1. राज्य के सभी नियमित कर्मियों द्वारा अवकाश अद्यतीकरण के बिना भी Employee Self Service Part A पोर्टल से सभी प्रकार के अवकाश आवेदन अपने लॉगिन से करने का प्रावधान लागू कर दिया गया है।
2. छुट्टी अभ्यावेदन स्वीकृति प्राधिकार/Office Admin का दायित्व होगा कि पोर्टल के अपने लॉगिन में राज्य कर्मी से प्राप्त आवेदन स्थापना HR Maker को प्रेषित कर छुट्टी प्रारम्भ होने के पूर्व की तिथि तक का उक्त कर्मी का आवेदित अवकाश का अवशेष अद्यतन कराकर HR Approver से अनुमोदित करा दें।
3. आवेदित अवकाश का अवशेष अद्यतीकरण के बाद ही इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा पोर्टल पर अनुमोदित किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदन के बिना आवेदित अवकाश की वापसी अथवा रद्दीकरण (Cancelation) अनुमान्य नहीं होगा।
5. किसी भी प्रकार के अवकाश को कार्यालय द्वारा अद्यतन करने के पश्चात उक्त अवकाश स्वतः आगे भी अद्यतन हो जायेगा।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस नयी व्यवस्था से अवगत कराते हुए HRMS पोर्टल के Leave Management Module के माध्यम से ही राज्य के सभी नियमित कर्मियों के सभी प्रकार के छुट्टी के लिए आवेदन स्वीकार करने एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत कराने का निदेश देने की कृपा की जाय।

1936
04/08/25

विश्वासभाजन,

(डॉ0 बी. राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–
मिशन निदेशक।

सचिव

संयुक्त सचिव
भवन निर्माण विभाग
बिहार, पटना।

भवन निर्माण विभाग का प्रकोष्ठ
प्राप्ति की तिथि...
संख्या...
बिहार, पटना

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक–भवन–03 / स्था०–विविध–09 / 2024 .... / पटना दिनांक– ....

भवन निर्माण विभाग (मुख्यालय) बिहार, पटना के सभी अराजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक–1624 दिनांक–25.07.2025 में निहित प्रावधान के तहत ही अवकाश स्वीकृति हेतु HRMS पोर्टल के Leave Module के माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करें।

ह० / –
(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक भवन–03 / स्था०–विविध–09 / 2024 .....10216(भ) / पटना दिनांक– 13/11/25

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख / सभी मुख्य अभियंता / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–भवन/स्था0–04–वि0–39/2025 .....10695(भ)..... / पटना, दिनांकः– 02/12/25

प्रतिलिपिः–सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उक्त पत्र में प्रदत्त निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अवधेश नन्दन सिन्हा)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

C:\Users\HP\Desktop\Work 2025\Dhananjai Sir\Draft 2
pg 678